

57/128

16760/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282265



### विक्रय-पत्र

#### लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. भूमि का प्रकार                   | : कृषि                      |
| 2. परगना                            | : बिजनौर                    |
| 3. ग्राम                            | : हसनपुर खेवली              |
| 4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) | : भूमि खसरा संख्या-96 व 109 |
| 5. मापन की इकाई                     | : हेक्टेअर                  |
| 6. विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल    | : 0.0995 हेक्टेअर           |
| 7. सम्पत्ति का प्रकार               | : कृषि                      |





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282254

- 2 -

|     |                     |                  |
|-----|---------------------|------------------|
| 8.  | पेड़ों का मूल्यांकन | : नहीं           |
| 9.  | बोरिंग/कुआ/अन्य     | : नहीं           |
| 10. | प्रतिफल की धनराशि   | : रू0 9,33,907/- |
| 11. | मालियत              | : रू0 5,57,200/- |
| 12. | स्टाम्प             | : रू0 65,400/-   |

चौहद्दी

खसरा न० 96

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| पूरब   | : खसरा संख्या-97, 98, आबादी |
| पश्चिम | : खसरा संख्या-93            |
| उत्तरे | : खसरा संख्या-95, 93, 108   |
| दक्षिण | : सीमा ग्राम                |

दफ्तरी

1/1/2014





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282269

- 3 -

खसरा न० 109

|        |                      |
|--------|----------------------|
| पूर्व  | : खसरा संख्या-110    |
| पश्चिम | : खसरा संख्या-94, 95 |
| उत्तर  | : खसरा संख्या-91     |
| दक्षिण | : खसरा संख्या-108    |



रफ्तारिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282268

- 4 -

प्रथम पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

| विक्रेता का विवरण   | ः | क्रेता का विवरण   |
|---|---|---|
| शंकर पुत्र डीगुर, निवासी-<br>ग्राम, हसनपुर खेवली,<br>परगना-बिजनौर तह0 व<br>जिला-लखनऊ। |   | दयाराम पुत्र स्व0 शिव राम<br>निवासी-मोहल्ला-मिरखपुर,<br>तहसील-बिन्दकी, जिला-फतेहपुर,<br>उ0प्र0। |

दयाराम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282267

- 5 -

### विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख शंकर पुत्र डीगुर, निवासी- ग्राम, हसनपुर खेवली, परगना-बिजनौर तह0 व जिला-लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् दयाराम पुत्र स्व0 शिव राम निवासी-मोहल्ला-मिस्वपुर, तहसील-बिन्दकी, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

दयाराम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282270

- 6 -

यह कि विक्रेता षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या-00151 फसली वर्ष 1419 से 1424 के कृषि भूमि खसरा संख्या-109 रकबा 0.2020 हेक्टेअर का 1/4 भाग यानी रकबा-0.0505 हेक्टेअर व खाता खतौनी क्रम संख्या-00156 फसली वर्ष 1419 से 1424 के कृषि भूमि खसरा संख्या-96 रकबा 0.3920 हेक्टेअर का 1/8 भाग यानी रकबा-0.049 हेक्टेअर, कुल दो किता व कुल रकबा-0.0995 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम-हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक कामिल व काबिज है, जो कि विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है, तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक



दफ्तार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282271

- 7 -

खाता खतौनी क्रम संख्या-00151 व 00156 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है।

विक्रेता की भूमि में 4-5 फिट गहरे गड्ढे है अथवा भूमि कृषि योग्य नहीं है। भूमि पर पहुँचने का रास्ता भी नहीं है।

विक्रेता की उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचना अंतर्गत धारा 4(1) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 दिनांक 26/10/2010 सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है। विक्रेता को



दफ्तरी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282272

- 8 -

अधिग्रहण कार्यवाही के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है किन्तु चूंकि विक्रेता को रूपयों की अत्यन्त आवश्यकता है एवं अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने व प्रतिकर भुगतान में काफी समय लगने की सम्भावना है अतः विक्रेता ने क्रेता को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुए भूमि का विक्रय करना तय किया है कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में मात्र क्रेता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा। विक्रेता द्वारा भूमि अधिग्रहण



रुपयों



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282278

- 9 -

के अन्तर्गत व अधिग्रहण के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रतिकर पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होगा।

उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरुत खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी



दफ्तारी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282276

- 10 -

चीज व हक के खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिंग रू0 9,33,907/- (रूपया नौ लाख तैंतीस हजार नौ सौ सात मात्र) में उपरोक्त क्रेता को बय कतई किया, और कुल विक्रय धनराशि कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अुनसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्वत आराजी बयशुदा व विक्रय



२५/१५



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282277

- 11 -

धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त



रु. 5000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282273

- 12 -

कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दारखिल-खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में कृषि कार्य होता है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्युबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है।



रफ़्तार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 282274

- 13 -

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम हसनपुर खेवली, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारु कीमत 56,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से विक्रीत भूमि 0.0995 हेक्टेअर की मालियत रू0 5,57,200/- होती है जो कि



रामेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 946636

- 14 -

विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर जनरल स्टाम्प शुल्क 65,400/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किमी० से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।



रामेश्वर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 946637

- 15 -

यह कि भूमि अधिग्रहीत हो जाने की दशा में अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार मात्र क्रेता या क्रेता द्वारा अधिकृत व्यक्ति को होगा। विक्रेता या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिकर प्राप्त करने का हक न होगा। विक्रेता या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति भविष्य में उक्त भूमि के अधिग्रहण व प्रतिकर से सम्बन्धित कोई दावा/मुकदमा किसी न्यायालय /अधिकारी /प्राधिकरण के समक्ष नहीं करेगा।



दफ्तरी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 946638

- 16 -

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों "विक्रेता" एवं "क्रेता" में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

#### विवरण भुगतान

कुल विक्रय मूल्य रु0 9,33,907/- (रुपया नौ लाख तैंतीस हजार नौ सौ सात मात्र) द्वारा चेक संख्या-95677.3 दिनांकित 12.09.2012 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज,



दस्तावेज

10/11/12  
547213  
6

विक्रय पत्र

933,907.00 / 557,200.00 10,000.00 20 10,020.00 1,000

पतिफल मालियत श्री शंकर पुत्र श्री डीगूर व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम हसनपुर खेवली पर, बिजनौर, लखनऊ  
 श्री शंकर डीगूर निवासी ग्राम हसनपुर खेवली पर, बिजनौर, लखनऊ  
 नं उर लेखपत्र इन कार्यों में दिनांक 12/9/2012 समय 2:17PM  
 एवं निबन्धन हेतु पत्र किया।

10/3

रजिस्ट्रार/अधिकारी के हस्ताक्षर  
 वी.सी. सिंह  
 उष निबन्धक (प्रथम)  
 लखनऊ  
 12/9/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद युक्त व समझने पत्रपत्र व फलत धनगणेश म फलप्राप्तियां उक्त विक्रेता केता


श्री शंकर पुत्र श्री डीगूर पेशा कृषि निवासी ग्राम हसनपुर खेवली पर, बिजनौर, लखनऊ

श्री दयाराम पुत्र श्री स्व.शिव राम पेशा कृषि निवासी मोहल्ला मिरखपुर सह बिन्दकी जि. फतेहपुर

नं निष्पादन स्वीकार किया।  
 जिनकी पहचान श्री श्री.आर.शर्मा पुत्र श्री स्व.ए.आर.शर्मा निवा व्यापार 18 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ व श्री सन्तोष निगम राम गोविन्द निवासी ग्राम हसनपुर खेवली पर, बिजनौर, लखनऊ

10/3

सन्तोष निगम राम गोविन्द



रजिस्ट्रार/अधिकारी के हस्ताक्षर  
 वी.सी. सिंह  
 उष निबन्धक (प्रथम)  
 लखनऊ  
 12/9/2012

पर्यवेक्षण एवं साक्ष्यों के विधान अंगुठे निबन्धनगत कार्य एवं है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 946639

- 17 -

लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया, जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोंच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

दाखल



1001-12  
शंकर  
✓

विक्रेता

Registration No.: 16768

Year: 2012

Book No.: 1

0101 शंकर

दीगू

ग्राम हनुमानपुर खोसली पन, बिलगाँव, लखनऊ  
कृषि








महाराष्ट्र शासन → दसने पुरस्कर्ता - का.प्र.प.सं. - १६/१७

विशेष → शंकर

कैला → यशराम

गरवला नगर



पार

पार



दसने

आज दिनांक 12/09/2012 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 14712

पृष्ठ सं. 371 से 408 पर क्रमांक 16768

रजिस्ट्रारकृत किया गया ।

रजिस्ट्रारकण अधिकारी के हस्ताक्षर

वी.सी. सिंह

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

12/9/2012

